आदेश

22.05.2018

यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र महाबार पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने पृथक–पृथक विक्रय दस्तावेजों के आधार पर अप्रार्थीगण से ग्राम महाबार में स्थित खसरा नम्बर 10/3 में से 01.00 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या 02 व 01 ने तथा इसी खसरा में 01.00 बीघा भूमि में से प्रार्थी संख्या 03 से 05 ने क्रय की थी। बेचान पत्र के आधार पर लठ्ठा ट्रेस में कब्जे के आधार पर तरमीम नही होने से दोनों पक्षों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है। प्रार्थीगण ने उनके द्वारा क्रयशुद्धा भूमि की तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु समूचित अवसर दिया गया। अप्रार्थी संख्या अनोपसिंह ने न्यायालय में दिनांक 29.11.2017 को ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुतु किया। प्रकरण में तहसीलदार बाडमेर से मौका प्रतिवेदन एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने दिनांक 18.05.2018 को मौका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार बाडमेर के प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया है कि वादग्रस्त भूमि में बेचान पत्रों के आधार पर मौके के अनुसार तरमीम नही की गई है। उन्होने तरमीम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि ग्राम महाबार में स्थित खसरा नम्बर 2094/10 व 2095/10 संलग्न नक्शे में बिन्दु संख्या

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 210/2017 अनवान मेवाराम बनाम अनोपसिंह

ए बी सी डी में दर्शाया गया क्षेत्र खातेदार मेवाराम मोहनलाल पिसरान किरतमल का मौके पर कब्जा पाया गया और मौके पर सड़क पर उत्तर में और पूर्व में पक्की पत्थरों की चार दिवारी बनी हुई है तथा बिन्दु संख्या सी डी ई एफ में दर्शाया गया क्षेत्र मोहनलाल, रतनलाल, मदनलाल पिसरान आसुलाल का कब्जा किया हुआ है, जो डामर सड़क पर दक्षिण में व पूर्व की दिशा में पक्की पत्थरों की चार दिवारी बनी हुई है, इन दोनों के मध्य में पश्चिम दिवार व पूर्व दिवार पर छोटा टी बना हुआ है। इसके बीच में 01.00–01.00 बीघा भूमि घिरी हुई है, जो संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम करने में सभी पक्षकारान ने सहमति प्रकट की। अतः तहसीलदार बाडमेर के प्रतिवेदनानुसार एवं नक्शा मौका के अनुसार खसरा संख्या 2094/10 व 2095/10 में नक्शा मौका में दर्शाये अनुसार तरमीम संशोधन के आदेश दिये जाते है। नक्शा मौका आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तदानुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम संशोधन कर राजस्व अभिलेख में अंकन करावें। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बाडमेर

Scanned by CamScanner